

पेंशन दावों में स्लंगन किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

सदस्य पेंशन (Superannuation and Reduced Pension)

1. फार्म 10 डी पूर्णतया भरा हुआ, कंपनी द्वारा सत्यापित (03 सेट)।
2. सदस्य, उसकी पत्नी एवं बच्चों के आधार कार्ड (अनिवार्य तौर पर) एवं आधार कार्ड पर अंकित नाम व जन्मतिथि का कार्यालय में दर्ज कारवाई गई जन्मतिथि एवं नाम के एकदम समान होनी चाहिए।
3. सदस्य, उसकी पत्नी, एवं बच्चों के जन्मतिथि से संबंधित दस्तावेज (निम्नलिखित में से कोई एक)
 1. जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र।
 2. स्कूल द्वारा जारी किया गया कोई प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि अंकित हो
 3. पासपोर्ट
 4. ESI कार्ड
 5. दसवीं कक्षा की मार्कशीट
4. हर पेंशनर / लाभार्थी की 03 फोटो जो अलग अलग 03 पेपरों पर चिपकी हों एवं नियोक्ता द्वारा सत्यापित की गई हों।
5. सदस्य के वर्तमान कंपनी में जॉइन करने से पहले एवं नौकरी छोड़ने की तिथि से अबतक कहीं और सर्विस न करने के बारे में घोषणा पत्र (Non Employment Certificate)
6. बैंक पासबुक की प्रतिलिपि (पेंशन के लिए 1. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 2. पंजाब नेशनल बैंक, 3. आईसीआईसीआई बैंक एवं 4. एक्सिस बैंक (किसी भी एक बैंक) में अकाउंट खुलवाना अनिवार्य है) ।

मृत्यु की स्थिति में / विधवा / विधुर पेंशन (Death in / Death away from Service):

1. फार्म 10 डी पूर्णतया भरा हुआ, कंपनी द्वारा सत्यापित (03 सेट)।
2. अगर मृतक सदस्य के बच्चे 13 साल से ऊपर एवं 25 साल से नीचे हैं तो उनके नाम से भी फार्म 10 डी, 03 सेटों में भरा जाएगा।
3. अविवाहित सदस्य की मृत्यु की दशा में प्रथम वरीयता पिताजी को दी जाएगी एवं फार्म 10 डी सदस्य के पिताजी द्वारा भरा जाएगा, सदस्य के पिताजी जीवित ना होने की स्थिति में माता जी को पेंशन मिलेगी
4. सदस्य, उसके पति / पत्नी एवं सभी बच्चों के आधार कार्ड (नोट: आधार कार्ड पर पूरी जन्मतिथि एवं कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार ही जन्मतिथि होना आवश्यक है)
5. मृतक सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र (मूल प्रति) (original)
6. सदस्य, उसकी पत्नी, एवं बच्चों (25 वर्ष से कम आयु) के जन्मतिथि से संबंधित दस्तावेज (निम्नलिखित में से कोई एक)
 - a. जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र।
 - b. स्कूल द्वारा जारी किया गया कोई प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि अंकित हो
 - c. पासपोर्ट
 - d. ESI कार्ड
 - e. दसवीं कक्षा की मार्कशीट
7. सदस्य के वर्तमान कंपनी में जॉइन करने से पहले एवं नौकरी छोड़ने की तिथि से अबतक कहीं और सर्विस न करने के बारे में घोषणा पत्र (Non Employment Certificate) यह प्रमाण पत्र मृतक सदस्य की पत्नी / पति द्वारा दिया जाएगा एवं कंपनी द्वारा सत्यापित किया जाएगा
8. टोबारा शादी न करने का घोषणा पत्र (विधवा / विधुर द्वारा)
9. बैंक पासबुक की प्रतिलिपि (पेंशन के लिए 1. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 2. पंजाब नेशनल बैंक, 3. आईसीआईसीआई बैंक एवं 4. एक्सिस बैंक (किसी एक) में अकाउंट खुलवाना अनिवार्य है। सभी लाभार्थियों का बैंक खाता अलग अलग एवं एक ही बैंक व शाखा में होना अनिवार्य है
10. नौकरी छोड़ने के अगला मृत्यु की स्थिति में, नॉमिनेशन फार्म - 2, जो की मृतक सदस्य द्वारा उचित समय पर व मृत्यु से पूर्व दस्तावेजित किया गया होगा, कंपनी द्वारा फार्म 10 डी के साथ जमा करवाया जाना अनिवार्य है